

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 64/2023

पीठारिीन अधिकाऱी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उगुवान

- 1 पारसी पुत्री मादु माली उगु वयरक नलवारसी खेडाहेतम तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
- 2 रामलाल पिता मादु माली उगु वयरक नलवारसी खेडाहेतम तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
- 3 लादी पुत्री मादु माली उगु वयरक नलवारसी खेडाहेतम तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा

----- (प्राथीगण)

बनाम

- 1 नोरत पिता सुखदेव माली उगु वयरक नलवारसी खेडाहेतम तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
- 2 धन्ना पिता भूरा माली उगु वयरक नलवारसी खेडाहेतम तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
- 3 मोहन पिता उगमा माली उगु वयरक नलवारसी खेडाहेतम तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
- 4 गोपाल पिता भूरा माली उगु वयरक नलवारसी खेडाहेतम तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
- 5 देवा पिता सुवा भील उगु वयरक नलवारसी खेडाहेतम तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
- 6 भूमिधारी तहसीलदार फूलियाकलां जिला भीलवाडा

----- (अप्राथीगण)

उपस्थित-

प्राथी अधिवक्ता- श्री विजय पाराशर

प्राथीनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 बावत कराने पत्थरगढी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 23.06.2023


प्राथी की ओर से एक प्राथीना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 20.04.2023 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम खेडाहेतम पटवार मण्डल सणगारी भूअ.नि. फूलियाकलां तहसील फूलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 107 के आ.न. 359, 362, 363 किता 3 रकबा 0.75 हैक्टर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण/सहखातेदारान हैं। प्राथी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्राथी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। प्राथीनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्राथीनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 18.05.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्राथीना पत्र पर अधिवक्ता प्राथी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्राथीनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्राथीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्राथीनापत्र प्राथी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्राथी का प्राथीनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम खेडाहेतम पटवार मण्डल सणगारी भूअ.नि. फूलियाकलां तहसील फूलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 107 के आ.न. 359, 362, 363 किता 3 रकबा 0.75 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक फूलियाकलां को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना बहन करे। पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकला, जिला भीलवाडा